



सत्यमेव जयते

# कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं. एचआरडी-1/8/2024 / विविध- परिपत्र /1498

दिनांक 05 फरवरी 2026

सेवा में,

सभी अ.के.आ (मुख्यालय)(अंचल)/अ.के.आ (अंचल)

**विषय:** कार्यालय में सहायक भविष्य निधि आयुक्तों की पर्याप्त संख्या के अभाव में लेखा अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय आयुक्त-I (का.प्र.अ)/क्षेत्रीय आयुक्त-II (का.प्र.अ), संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत लेखा अधिकारियों (ले.अ) को अंचल के अपर केंद्रीय आयुक्त (मुख्यालय)/अपर केंद्रीय आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, लेखा, नकदी और/या पेंशन अनुभागों का अतिरिक्त कार्यभार इस आदेश के जारी होने की तिथि से अधिकतम 45 दिनों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ सौंप सकते हैं।

- लेखा अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार केवल सहायक भविष्य निधि आयुक्त/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II कैडर में मौजूद रिक्तियों की संख्या तक ही दिया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि संवेदनशील पदों पर कार्य करने के लिए वरिष्ठता और उपयुक्तता पर उचित विचार किया गया है।

( केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी )

भवदीय,

(सौरभ त्रिपाठी)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, मा.सं.वि-I

**प्रतिलिपि:**

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी को सूचनार्थ।